नागरिक/सेवार्थी चार्टर

कृषि एवं सहकारिता विभाग

(2011-2012)

पता :	कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
वेबसाइट आईडी :	http:// www.agricoop.nic.in
जारी करने की तारीख :	फरवरी, 2011
संशोधित करने की तारीख:	सितंबर, 2011
अगली समीक्षा की तारीख :	सितंबर, 2012

नागरिक/सेवार्थी घोषणा पत्र

कृषि एवं सहकारिता विभाग

(2011-12)

परिदृश्य

कृषि जिन्सों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना जिससे कि राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और साथ ही वर्ष 2020 तक आजीविका समर्थन के लिए कृषि को संधारणीय और व्यवहार्य व्यवसाय बनाया जा सके ।

मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास येाजना, बृहत कृषि प्रबंधन, समेकित तिलहन, दलहन, आयलपाम एवं मक्का स्कीम, विस्तार सुधार आदि जैसी कृषि स्कीमों और विभिन्न नई पहलों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करते हुए सभी किसानों की आय स्तर का सुधार करते हुए और कृषि उत्पादन बढ़ाते हुए विभिन्न राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के अन्य संबंधित विभागों की सहायता से कृषि क्षेत्र के लिए लक्षित विकास दर को प्राप्त करना ।

कृषि एवं सहकारिता विभाग हेतु नागरिक/सेवार्थी (क्लाइंट) चार्टर एवं मानदण्ड (2011-2012)

प्रमुख सेवाएं/कार्य-व्यापार

क्र0 सं0	सेवाएं/ कार्य-व्यापार	भार %	उत्तरदायी व्यक्ति (पदनाम)	ई-मेल	मोबाईल/फोन नंबर	प्रक्रिया	अपेक्षित दस्तावेज	शुल्क		
								वर्ग	विधि	राशि
1.	बहुराज्यीय सहकारी समितियों का पंजीकरण (एमएससीएस)	2	डी.एन. ठाकुर, निदेशक (सहकारिता)	dnthakur.krishi@nilc.in	23381809	पंजीकरण प्रक्रिया पर 4 माह के अंदर कार्रवाई की जानी हैं ।	बहु राज्य सहकारी समिति नियमावली, 2002 के साथ संलग्न प्रपत्र-। के अनुसार	शून्य	शून्य	शून्य
2.	एमएससीएस के उपनियमों का संशोधन	2	डी.एन. ठाकुर, निदेशक (सहकारिता)	dnthakur.krishi@nilc.in	23381809	उप-नियमों पर 3 माह के अंदर कार्रवाई की जानी हैं ।	बहु राज्य सहकारी समिति नियमावली, 2002 की धारा 11(4) के अनुसार ।	शून्य	शून्य	शून्य
3.	(क)केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नेफेड के माध्यम से तिलहनों, दलहनों और कपास के अधिप्रापण के लिए मूल्य समर्थन स्कीम (ख) कृषि एवं बागवानी जिन्सें जो सामान्यत: शीघ्र विनाशशील होती हैं, लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का (एमआईएस)	2	विनीत कुमार वर्मा, निदेशक (सहकारिता) घनश्याम ठाकुर (अवर सचिव)	vinit.verma@nic.in gthakur10@yahoo.com	23381557	कृषि जिंसों के लिए एमएसपी/एमआईपी की घोषणा के आधार पर केन्द्र/ राज्य अधिप्रापण एजेंसियां खरीद करती हैं ।	i)कृषि जिंसों के लिए एमएसपी घोषित करना। ii)एमआईएस के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव ।	शून्य	शून्य	शून्य

	कार्यान्वयन									
4.	फसल बीमा कार्यक्रम का संचालन/ कार्यान्वयन	4	श्री एच.पी. वर्मा मुख्य निदेशक (फसल बीमा)	hmalinda@rediffmail.com	011-23381923	बीमा कंपनियों के माध्यम से किसानों को फसलों के लिए बीमा कवरेज दिया जाता है ।	संबंधित ऋण संस्था द्वारा ऋणी किसानों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है । गैर-ऋणी किसानों से बैंकों/एजेंटों के जरिए या क्रियान्वयन एजेंसी से संपर्क करने तथा प्रस्ताव प्रपत्र को भरने की अपेक्षा की जाती है ।	ऋणी तथा गैर-ऋणी किसान	नकद/चेक/ डिमांड ड्राफ्ट	एनएआईएस -1.5% से 3.5% तथा 10% तक एमएनआईएस- 40% से 75% तक डब्ल्यूबीसी आईएस- 25% से 50% तथा 12% तक सीपीआईएस - 50% तथा 25%
5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कपास प्रौद्योगिकी मिशन और जूट मिशन के फसल विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राशियों को जारी करना । - बीजों की खरीद - सूक्ष्म पोषक तत्व - मृदा संशोधक	5	श्रीमती नीरजा अडिडम निदेशक (फसल)	neeraja.adidam@nic.in	23388579	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना तथा कार्यक्रम के तहत अब तक हुई प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर राज्य सरकार को उनकी	प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र तथा मासिक/त्रैमासिक/ वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक तथा वित्तीय)	शून्य	शून्य	शून्य

	- पौध संरक्षण रसायन - फार्म मशीनरी					आवश्यकता/मांग के अनुसार धनराशि दी जाती है ।				
6.	प्रदर्शन और उन्नत प्रौद्योगिकी में किसानों को प्रशिक्षण	5	श्रीमती नीरजा अदीदाम निदेशक (फसल)	neeraja.adidam@nic.in	23388579	समग्र कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित अद्यतन प्रौद्योगिकीय क्रियाकलापों के संबंध में लाभानुभोगी किसानों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।	लाभानुभोगी किसानों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।	शून्य	शून्य	शून्य
7.	राज्यों के परामर्श से दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा की स्थिति और कृषि संबंधी कार्यों पर इसके प्रभाव का प्रबोधन	1	श्री वी.बी. दूबे, निदेशक (सूखा प्रबंधन)	vinoy.dubey@nic.in	23388606	सरकार से सरकार को	भारत मौसम विज्ञान विभाग से वर्षा के आंकड़े	शून्य	शून्य	शून्य
8.	सूखा/ओला/कीट आक्रमण से ग्रस्त राज्यों में हानि की स्थिति और केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता के आकलन के लिए अन्तर्मंत्रालयीय केन्द्रीय दलों की प्रतिनियुक्ति ।	1	श्री वी.बी. दूबे, निदेशक (सूखा प्रबंधन)	vinoy.dubey@nic.in	23388606	सरकार से सरकार को	केन्द्रीय सहायता के लिए प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन ।	शून्य	शून्य	शून्य
9.	सूखा/ओला/कीट आक्रमण	1	श्री वी.बी. दूबे,	vinoy.dubey@nic.in	23388606	सरकार से सरकार	एनडीआरएफ से	शून्य	शून्य	शून्य

	से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण करना ।		निदेशक (सूखा प्रबंधन)			को	केन्द्रीय सहायता पर विचार करने के लिए अंत:-मंत्रालयीय केन्द्रीय दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन ।			
10.	**किसानों को प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएं** - प्रौद्योगिकी प्रसारण के लिए नई संस्थानिक व्यवस्थाओं के जरिए विस्तार पद्धति को किसान संचालित और किसानों के प्रति जिम्मेदार बनाना ।	2	श्री थामस वर्घिस, निदेशक (विस्तार)	thomas.v@nic.in	232381385	एटीएमए, बीटीटी, कृषक कोष तथा फार्म स्कूलों के जरिए प्राप्त ।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	**बेरोजगार कृषि व्यवसायिकों को प्रशिक्षण** - आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के माध्यम से भुगतान आधार पर किसानों को विस्तार सेवाएं उपलब्ध कराना ।	2	श्री थामस वर्घिस, निदेशक (विस्तार)	thomas.v@nic.in	232381385	मैनेज में प्रशिक्षण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	**किसान काल सेन्टर** - 24 घण्टे किसानों के प्रश्नों के जवाब देना (24X7)	2	श्री थामस वर्घिस, निदेशक (विस्तार)	thomas.v@nic.in	232381385	टॉल फ्री नम्बर- 1800-180-1551	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	कृषि विस्तार के लिए जन संचार तंत्र समर्थन - आकाशवाणी के 96	2	श्री थामस वर्घिस, निदेशक (विस्तार)	thomas.v@nic.in	232381385	दिल्ली दूरदर्शन में कृषि दर्शन कार्यक्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	एफएम केन्द्रों, 18 क्षेत्रीय केन्द्रो 180 नैरो कास्टिग केन्द्रों तथा दूरदर्शन के एक राष्ट्रीय चैनल की विद्यमान अवसंरचना के माध्यम से कृषि विस्तार के लिए जन संचार सहायता प्रदान करना ।					तथा आकाशवाणी के एफएम केन्द्रों में किसान वाणी कार्यक्रम ।				
14.	कृषि परिवारों के लिए पोषणीय सुरक्षा और आय समर्थन आश्वस्त करना । प्रौद्योगिकियों का विकास करना, बढ़ावा देना और प्रसार करना ।	8	श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव और प्रबंध निदेशक (एनएचएम और एनएमएमआई)	sanjeev.chopra @nic.in	9868504041	कार्य-योजनाओं तथा परियोजनाओं का अनुमोदन।	वार्षिक कार्य-योजना	शून्य	शून्य	शून्य
15.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलों का उददेश्य सूचना एवं संचार का प्रयोग करते हुए किसानों तक उन्नत सेवाओं को पहुंचाना है । इसे केन्द्र और राज्य कृषि विभाग में आईसीटी अवसंरचना के सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और विभिन्न वेब पोर्टलों को विकसित करना जिससे किसानों और अन्य पणधारियों को सूचना के प्रसारण में सहायता मिलेगी ।	5	श्री थामस वर्घिस, निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	thomas.v@nic.in	232381385	पोर्टलों के जरिए सूचना उपलब्ध है।	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

16.	नई स्थिर/चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं/उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना, विद्यमान एसटीएल और एफक्यूसीएलएस का सुदृढ़ीकरण, एसटीएल स्टाफ/विस्तार अधिकारियों/किसानों को प्रशिक्षण, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग संबंधी क्षेत्र प्रदर्शन तथा जैविक खाद, मृदा संशोधकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और एफसीओ के अंतर्गत उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण के प्रयोग को बढ़ावा देना ।	3	श्री ध्रुव कुमार उपायुक्त (आईएनएम)	Dhruv.kumar@nic.in	23381507	राज्य सरकार । अपने प्रस्ताव में पीपीपी परियोजनाओं को शामिल करें, राज्य परियोजना की मंजूरी तथा मानिटरिंग समिति से अनुमोदन प्राप्त करें तथा इसे कृषि एवं सहकारिता विभाग के पास भेजें ।	राज्य की परियोजना मंजूरी एवं मानिटरिंग समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा ।	शून्य	शून्य	शून्य
17.	देश में जैविक खेती का संवर्द्धन, क्षमता निर्माण, जैविक मृदा स्वास्थ्य मूल्यांकन तथा कम लागत की वैकल्पिक प्रमाणन- सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली । एफसीओ के तहत जैव उर्वरकों/ कार्बनिक उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा	3	श्री ध्रुव कुमार उपायुक्त (आईएनएम)	Dhruv.kumar@nic.in	23381507	पूंजी निवेश सब्सीडी स्कीम के तहत प्रस्ताव पर नाबार्ड के जरिए ऋण से जुड़ी हुई बैक-एन्डेड सब्सीडी के तहत विचार किया जाता है ।	कोई विशिष्ट प्रपत्र नहीं किन्तु प्रस्तावों को तथ्यों के साथ औचित्यपूर्ण बनाना होगा ।	शून्य	शून्य	शून्य

	नाबार्ड के जरिए पूंजी निवेश सब्सीडी स्कीम के तहत जैविक आदान उत्पादन यूनिटों की स्थापना के लिए सहायता ।					क्षमता निर्माण से संबंधित प्रस्ताव मूल्यांकन/जांच समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु एनसीओएफ को तथा अंततः पीजीएस इंडिया की पीजीएस- राष्ट्रीय परामर्श समिति के अनुमोदन हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग को भेजे जाते हैं ।				
18.	**एगमार्क, ग्रेडिंग सुविधा स्कीम का सुदृढ़ीकरण** **(क)** ग्रेड मानकों का निरूपण/सुमेलन करना और भारत के राजपत्र में उनकी अधिसूचना देना **(ख)**किसानों/संसाधकों तथा उपभोक्ताओं के लाभार्थ स्वैच्छिक एगमार्क प्रमाणन स्कीम ।	3	डा0 एस.सी. खुराना, उप कृषि विपणन सलाहकार	dmiqc@nic.in	9899314228	(क) लागू नहीं (ख) व्यापारियों, पैकरों तथा संसाधकों आदि से आवेदन प्रपत्र ।	शून्य आवेदन फार्म		डिमांड ड्राफ्ट	विभिन्न जिंसों के लिए अलग-अलग शुल्क
19.	**मण्डी अनुसंधान एवं**	3	श्री बी.के.	bk.pursty@nic.in	9873073757	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) स्कीम एगमार्कनेट के माध्यम से किसानों और अन्य संबंधित संगठनों को मूल्यों तथा मंडी से जुड़ी हुई जानकारी के त्वरित संग्रहण और प्रसारण के लिए राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क स्थापित करना (http//:agmarknet.nic.in).		पुरस्ती,सहायक कृषि विपणन सलहाकार							
20.	**वृहत प्रबंधन** (i) आबंटन और प्रशानिक अनुमोदनों की सूचना (ii)राज्य सरकारों को समय पर धनराशि जारी करना (iii)स्पष्टीकरणों/संदर्भों का समय पर निपटान (iv)स्कीम की समीक्षा /प्रबोधन (v)वेबसाइट पर परियोजनाओं, धनराशियों और कार्यान्वयन की तारीख का प्रदर्शन	6	**सुश्री रीना साह निदेशक (बृहत प्रबंधन)**	directorrkvy@gmail .com	9868138998	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)** राज्यों द्वारा सभी नागरिकों सहित सभी पणधारियों के सूचनार्थ सार्वजनिक वेबसाईट पर आरकेवीवाई	10	**सुश्री रीना साह निदेशक** (**आरकेवीवाई**)	directorrkvy@gmail .com	9868138998	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं और जारी की गई राशियों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करना									
22.	फार्म मशीनरियों के प्रचालन के लिए प्रशिक्षण ।	3	श्री हिम्मत सिंह उपायुक्त (एम एवं टी)	himat.singh@nic.in	011-23382922	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फार्म मशीनरियों की अधोलिखित मदों का परीक्षण । (क) हस्तचालित उपकरण (ख) बैल/पशु चालित मशीनरी एवं उपकरण (ग) ट्रैक्टरचालित उपकरण /उपस्कर (घ) ट्रैक्टर (ड.) पावर ट्रिलर (च) कम्बाईन हार्वेस्टर्स (छ) अन्य कोई स्वचालित मशीने	3	श्री ओंकार सिंह उपायुक्त (एम एवं टी)	singh.omkar14@yahoo.co.in	23382922	शून्य	शून्य	मशीनरी के परीक्षण के लिए	नकद/चेक/ डिमांड ड्राफ्ट	मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए अनुसार विभिन्न मशीनरियों के लिए शुल्क बदलता रहता है ।
24.	देश के प्राथमिकता पनधाराओं, मृदा एवं भूमि	3	डा. एस.एन.दास	csso-slusi@nic.in	9213260939,	वेबसाईट http://slusi.dacnet.ni	वेबसाईट पर	शून्य	शून्य	शून्य

	अवक्रमण्ण पर स्थानिक और डिजीटल डाटाबेस तैयार करना तथा रखरखाव		मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी(सीएसए सओ)		9818184171	c.in पर उपलब्ध है एवं सभी सरकारी संस्थाओं तक नि:शुल्क पहुंच	उपलब्ध है			
25.	**कीटनाशी अधिनियम 1968 और समेकित नाशकजीव पबंधन के अधीन कीटनाशकों का पंजीकरण** **क. केन्द्रीय कीटनाशी बोड(सीआईबी) तथा पंजीकरण समिति(आरसी) द्वारा नाशकजीवमारों का पंजीकरण**	4	डा. बी.एस. फोगट, एपीपीए (सीआईबी एवं आरसी)	cibsecy@nic.in	0129-2413002	कीटनाशी अधिनियम 1968 एंव नियम, 1971 के अनुसार भारत में रहने वाले/भारत में कार्यालय वाले बाहरी आवेदक धारा 9(3), 93(ख), 9(4) के तहत पंजीकरण के नियमों वाले फार्म-1 में आवेदन कर सकते हैं । सचिवालय द्वारा आवेदन का तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है । इसके पश्चात इसे पंजीकरण समिति के समक्ष रखा जाता है जहां विशेषज्ञ एवं सदस्य आवेदन पर विचार करते हैं एवं	निर्धारित प्रारुप में आवेदन	नाशी जीव पंजीकरण	डिमांड ड्राफ्ट	100/-रुपये

						यदि यह मनुष्यों, पशुओं एवं पर्यावरण के लिए सुरक्षा के लिहाज से संतोषजनक पाया जाता है तब आरसी नाशीजीव के पंजीकरण का निर्णय लेती है एवं इसे बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया जाता है । इसके बाद आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ।				
			डा. ए.के.सिन्हा, एपीपीए (सीआईएल)	cifbd@nic.in chemcil@nic.in	0129-2413014	कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 5के तहत नमूने आरपीटीएल के मामले में कीटनाशी निरीक्षक से अथवा सीआईएसएल के मामले में कोर्ट से लिए जाते है । एपीपीए(सीआईएल)	(i) नमूने का विवरण जिसमें प्रचलित नाम, मात्रा एवं बनाने का तरीका, बैच नम्बर, बनाने की तिथि एवं समाप्त होने की तिथि. (ii) नमूना लेने के	नमूनों के विश्लेषण	नकद/ डिमाण्ड ड्राफ्ट	जैसा कीटनाशी नियम, 1971 की अनुसूची II में निर्दिष्ट है ।.

	ख. केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशालाओं (सीआईएल)/क्षेत्रीय नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशालाओं (आरपीटीएल) में विश्लेषणके लिए नमूनों की संख्या					को प्राप्त नमूनों को पहले कोडिंग अधिकारी को भेजा जाता है जो नमूने को कोड देने के बाद उसे दूसरे कोडिंग अधिकारी को भेज देता है । नमूने विश्लेषक समूह के पास भेजे जाते हैं । विश्लेषक समूह की रिपोर्ट वापस दूसरे कोंडिंग अधिकारी को जेडी(रसायन) के जरिए अनुमोदन के लिए एपीपीए (सीआईएल) को भेजी जाती हैं। एक बार अनुमोदन के पश्चात रिपोर्ट को टाइप किया जाता है एवं हस्ताक्षर के पश्चात पहले कोडिंग अधिकारी को दी जाती है जो रिपोर्ट को डिकोंड करता है	समय कीटनाशी निरीक्षक द्वारा दिया गया कोई निर्देश			

						एवं प्रेषित करता है। . कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 24(4) एवं कीटनाशी नियम, 1971 के 21 से 25 नियमों के अनुसार कीटनाशी निरीक्षकों द्वारा नमूनों के तीन भाग तैयार किए जाते हैं । एक भाग उस व्यक्ति को दिया जाता है जिससे नमूना लिया गया है । दूसरा धारा 24(1) के तहत विश्लेषण के लिए कीटनाशी विश्लेषक को दिया जाता है । इस नमूने के फेल होने एवं धारा24(3) के तहत परिणाम को चुनौती दिए जाने के मामले में तीसरा	फार्म 20, 21, 22 में विधिवत रुप से भरा हुआ जैसा कीटनाशी नियम,1971 में दिया गया है ।		शून्य	

			डा.जे.एन.ठाकुर, संयुक्त निदेशक (ई)	jn.thakur@nic.in dipm@nic.in	9891904453 9868518268	भाग सीआईएल को भेजा जाता है जहां इसे ऊपर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार एपीपीए (सीआईएल) के प्राधिकरण के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है । अधिसूचित क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वेक्षण/प्रदर्शन एवं कृषक प्रशिक्षण		शून्य	शुन्य	शुन्य

			डा.वी.के.यादव, एपीपीए (आईपीएम)							

	ग. जैव नियंत्रण एजेंटों की नियुक्ति **घ. अनुसूचित मरुभूमि क्षेत्रों में टिड्डियों का नियंत्रण** **ड. किसान फील्ड सेवाओं(एफएफएस) के माध्यम से समेकित नाशक जीवमार प्रबंधन (आईपीएम) को लोकप्रय करना** **च. अल्पकालिक और छीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास**									
26.	**पादप संगरोध(भारत में आयात का विनियमन) आदेश**, 2003 **के अधीन खेपों के निर्यात/आयात की स्वीकृतिके लिए निर्यात/आयात खेपों के सेवा मानकों की स्वीकृति** **1)*शीघ्र खराब होने वाले जिन्सों (नर्सरी पौधे, टिश्यू कल्चर्स, ताजे फल, कट फ्लावर्स आदि)**.	4	डा. डीडीके शर्मा संयुक्त निदेशक (पीक्यू)	ddk.sharma@nic.in	8901326967 0129-2418506	वेबसाइट www.plantquarantineindia.org पर उपलब्ध प्रक्रिया /कार्यप्रणाली के अनुसार	जैसा पीक्यू आदेश 2003 के तहत वर्णित है एवं प्रक्रिया अधिकारिक वेबसाईट www.plantquarantineindia .org में उपलब्ध है ।	खेप	डिमांड ड्राफ्ट	पीक्यू आदेश 2003 की अनुसूची XI के तहत आयात निरीक्षण शुल्क.

	क)निर्यात प्रमाणीकरण और पीएससी जारी करना ख) आयात स्वीकृति ग)आयात परमिट जारी करना 2) **घूमन अपेक्षित खेपें** क) निर्यात प्रमाणीकरण और पीएससी जारी करना ख) आयात स्वीकृति ग)आयात परमिट जारी करना 3) **बीज**. क) निर्यात प्रमाणीकरण और पीएससी जारी करना ख) आयात स्वीकृति ग)आयात परमिट जारी करना 4) **पादप प्रचारण सामग्री जिसमें प्रवेश पश्चात संगरोध अपेक्षित है** क) निर्यात प्रमाणीकरण और पीएससी जारी करना ख) आयात स्वीकृति ग)आयात परमिट जारी करना									

27.	गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन व वितरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास व सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता मुहैया कराना	5	श्री एस.शेल्वराज, उपायुक्त(बीज)	selvakrishi@nic.in		सभी प्रकार से पूरा प्रस्ताव निर्धारित समय के भीतर स्वीकृत किया जाएगा ।	निर्धारित प्रारुप में वास्तविक प्रगति रिपोर्ट/उपयोग प्रमाण पत्र	शून्य	शून्य	शून्य
28.	केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन, दलहन, आयलपाम और मक्का(आइसोपाम) स्कीम के लिए निधियों की निर्मुक्ति	3	श्री एस.के.जी.राहते, संयुक्त सचिव (टीएमओपी)	rahate.skg@nic.in	23388756	योजना राज्य सरकार/कार्यान्वयन कारी संस्थाओं के जरिए कार्यान्वित की जा रही है । इसलिए आइसोपाम की वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियां राज्यों/कार्यान्वयनकारी संस्थाओं को निर्मुक्त की जाती है । .	उपयेाग प्रमाण पत्र एवं प्रगति रिपोर्ट (वास्तविक एवं वित्तीय)	शून्य	शून्य	शून्य
29.	1. भारतीय कृषि की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन/परामर्श	3	श्री सर्वेश राय, निदेशक(व्यापार)	rai.sarvesh@nic.in	23386741	प्रस्तुत परियोजनाओं/ प्रस्तावों की जांच की जाती है एवं इसे योजना के तहत गठित अधिकृत	(I) पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति. (ii) पिछले तीन वर्षों के लेखों के लेखा परीक्षा विवरणों की प्रमाणित प्रति ।	शून्य	शून्य	शून्य

	2. देश में अधिमानत: राज्य कृषि विश्वविद्यालयोंद्वारा किसानों/कृषि वैज्ञानिकों/प्रशासकों के बीच कृषि संबधी डब्ल्यूटीओ व्यापार तथा संबंधित करारों से संबंधित जागरुकता सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समर्थन ।					समिति के समक्ष इस पर विचार करने के लिए रखा जाता है । .	(iii) पिछले तीन वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट ।. (iv) येाजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना को पूरा करने का आश्वासन देने वाला दस्तावेज एवं परियोजना का कार्यान्वयन न होने के मामले में चैक वापस करने/और अग्रिम को वापस करने का दस्तावेज.			

कृषि एवं सहकारिता विभाग हेतु नागरिक/सेवार्थी (क्लाइंट) चार्टर एवं मानदण्ड (2011-2012)

सेवा मानदण्ड

क्र.सं.	सेवा/अन्तरण	भार	सफलता सूचक	सेवा मानदण्ड	इकाई	भारत	स्रोत आंकड़े
1.	बहुराज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) का पंजीकरण	2.0	समय पर पंजीकरण	120	दिन	2.0	मंत्रालय रिकार्ड
2.	एमएमसीएस के उपनियमों में संशोधन	2.0	समय पर संशोधन (मंत्रिमंडल का अनुमोदन)	90	दिन	2.0	मंत्रालय रिकार्ड
3.	क). एक केन्द्रीय एजन्सी के रुप में नेफेड के माध्यम से तिलहन, दलहन और कपास के प्रापण के लिए मूल्य समर्थन स्कीम(पीएसएस) और (ख) कृषि एवं बागवानी वस्तुओं, जो सामान्यत: शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति की है, के प्रापण के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम(एमआईएस) का कार्यान्वयन ।	2.0	एमएसपी/एमआईएस के तहत समय पर प्रापण		तारीख	2.0	मंत्रालय रिकार्ड
4.	फसल बीमा कार्यक्रम का प्रशासन/कार्यान्वयन	4.0	समय पर अनुमोदन/स्पष्टीकरण और बजट प्रावधान		तारीख	4.0	मंत्रालय रिकार्ड

5.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के फसल विकास कार्यक्रम, कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन एवं जूट मिशन के तहत निम्न के लिए निधियों की निर्मुक्ति; - बीज की खरीद - सूक्ष्म पोषक - मृदा सुधारक - पौध संरक्षण रसायन - फार्म मशीनरी	5.0	निधियों की समय पर निर्मुक्ति	180	माह	5.0	मंत्रालय रिकार्ड
6.	उन्नत प्रौद्योगिकी के संबंध में किसानों के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण	5.0	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रदर्शनों की संख्या		संख्या	5.0	मंत्रालय रिकार्ड
7.	दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा स्थिति और राज्यों के परामर्श से कृषि प्रचालनों पर इसके प्रभाव की मानिटरिंग	1.0	कार्य को ज्ञापन प्रस्तुत के 60 दिन के अन्दर पूरा करना	60	दिन	1.0	मंत्रालय रिकार्ड
8.	नुकसान के आकलन एवं केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता के लिए सुखा/ओलावृष्टि/कीट आक्रमण द्वारा प्रभावित राज्यों के लिए अन्तर मंत्रालय केन्द्रीय दलों की प्रति नियुक्ति	1.0	कार्य को ज्ञापन प्रस्तुत के 60 दिन के अन्दर पूरा करना	60	दिन	1.0	मंत्रालय रिकार्ड
9.	सूखा, ओलावृष्टि एवं कीट आक्रमण का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का अनुपूरण	1.0	कार्य को ज्ञापन प्रस्तुत के 60 दिन के अन्दर पूरा करना	60	दिन	1.0	मंत्रालय रिकार्ड
10.	किसानों हेतु प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाएं ताकि प्रौद्योगिकी प्रचार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था द्वारा विस्तार पद्धति को किसान चालित एवं किसान जवाबदेह बनाया जा सके ।	2.0	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना		संख्या	2.0	मंत्रालय रिकार्ड

11.	बेरोजगार कृषि व्यवसायियों का प्रशिक्षण-आर्थिक रुप से व्यावहार्य स्व रोजगार उद्यमों की स्थापना के माध्यम से भुगतान आधार पर किसानों को विस्तार सेवा प्रदान करना ।	2.0	प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना		संख्या	2.0	मंत्रालय रिकार्ड
12.	किसान काल केन्द्र-चौबीस घंटे(24X7)किसानों की जिज्ञासाओं का उत्तर देना	2.0	राज्यों के लिए वैधित आंकड़ों की अपलोडिंग करना		संख्या	2.0	मंत्रालय रिकार्ड
13.	कृषि विस्तार हेतु मास मीडिया समर्थन-आकाशवाणी के 96 एफएम स्टेशनों,18 क्षेत्रीय केन्द्रों, 180 नैरोकास्टिंग केन्द्रों और दूरदर्शन के एक राष्ट्रीय चैनल की विद्यमान अवसंरचना के माध्यम से ।	2.0	पूरी की गई फिल्मों की संख्या		संख्या	2.0	मंत्रालय रिकार्ड
14.	किसान परिवारों और अन्य की पोषण संबंधी सुरक्षा एवं आय सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन, विकास एवं प्रसार	8.0	निधियों की समय पर निर्मुक्ति		संख्या	8.0	मंत्रालय रिकार्ड
15.	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पहलों का जोर सूचना एवं संचार का उपयोग करते हुए किसानों की पहुंच वाली सेवाओं को बेहतर बनाना है । इसे राज्य कृषि विभागों के साथ-साथ केन्द्र में आईसीटी अवसंरचना को सुधारने एवं विभिन्न वेब पोर्टल विकसित करने के माध्यम से प्राप्त किया गया है जिससे किसानों एवं अन्य पणधारियों को सूचना के प्रसारण में किसानों को मदद मिलेगी ।	5.0	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या पहलों की संख्या		संख्या	5.0	मंत्रालय रिकार्ड

16.	एफसीओ के तहत नई स्थायी/ सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (एसटीएल/उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रक प्रयोगशाला (एफक्यूसीएल) की स्थापना, वर्तमान एसटीएल एवं एफक्यूसीएलएस का सुदृढ़ीकरण, एसटीएल स्टाफ/ विस्तार अधिकारियों/किसानों का प्रशिक्षण, उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर फील्ड प्रदर्शन और जैविक खाद्य के उपयोग को प्रोत्साहन, मृदा सुधार सूक्ष्म पोषण एवं उर्वरकों का गुणवत्ता नियंत्रण ।	3.0	स्थापित की गई/उन्नयन की गई प्रयोगशालाओं की संख्या		संख्या	3.0	मंत्रालय रिकार्ड
17.	देश में जैविक खेती को प्रोत्साहन -जैविक मृदा स्वास्थ्य आकलन एवं निम्न लागत वैकल्पिक प्रमाणीकरण-सहभागी गारंटीड पद्धति(पीक्यूएस) । एफसीओ के तहत नाबार्ड एवं जैव उर्वरकों/कार्बनिक उर्वरकों के माध्यम से पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम(सीआईएसएस) के तहत जैविक आदान उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु सहायता ।	3.0	परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या		संख्या	3.0	मंत्रालय रिकार्ड
18.	एग्मार्क ग्रेडिंग सुविधा स्कीम का सुदृढ़ीकरण । (क) ग्रेड मानकों की फार्मिंग/हार्मोनाइजेशन और भारत के राजपत्र में उनकी अधिसूचना । **(ख)** किसान/प्रसंस्करण और उपभोक्ताओं के हितार्थ स्वैच्छिक एग्मार्क प्रमाणीकरण स्कीम	3.0	समय पर अधिसूचना जारी करना समय पर प्रमाण पत्र जारी करना	-	माह	3.0	मंत्रालय रिकार्ड
19.	बाजार अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क(एमआरआईएन) स्कीम: एग्मार्कनेट(http//:agmarknet.nic.in) के माध्यम से किसानों एवं अन्य सम्बद्ध संगठनों को मूल्य एवं मण्डी संबंधित सूचना का शीघ्र	3.0	सूचना का दैनिक संवर्धन	2	दिन	3.0	मंत्रालय रिकार्ड

	सग्रहण एवं प्रसारण के लिए राष्ट्रव्यापी सूचना नेटवर्क की स्थापना करना						
20.	वृहत प्रबंधन (i) आवंटन एवं प्रशासनिक अनुमोदनों की सूचना; (ii) राज्य सरकारों को निधियों की समय पर निर्मुक्ति; (iii) स्पष्टीकरण/संदर्भों का समय पर निष्पादन; (iv)स्कीम की समीक्षा/मानटरिंग: (v)वेबसाइट पर परियोजनाओं, निधियों और कार्यान्वयन तिथियों का प्रदर्शन	6.0	वेबसाइट का नियमित संवर्धन	-	दिन	6.0	मंत्रालय रिकार्ड
21.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) राज्यों द्वारा आरकेवीवाई के अधीन निर्मुक्त की गई निधियों और शुरू की गई परियोजनाओं से संबंधित सूचना को नागरिकों सहित सभी स्टेकहोल्डरों की सूचना के लिए सार्वजनिक वेबसाइट पर डालना	10.0	वेबसाइट का नियमित अद्यतन		दिन	10.0	मंत्रालय रिकार्ड
22.	फार्म मशीनरियों के प्रचालन के लिए प्रशिक्षण	3.0	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या		संख्या	3.0	मंत्रालय रिकार्ड
23	उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फार्म मशीनरियों का निम्नलिखित मदों के अधीन परीक्षण	3.0	परीक्षण की गई मशीनेां की संख्या		माह	3.0	मंत्रालय रिकार्ड

	(क) हस्त औजार हस्त चालित उपकरण (ख) बैंक/पशु चालित मशीनरी व उपकरण (ग) ट्रैक्टर चालित उपस्कर/उपकरण (घ) ट्रैक्टर (ड.) पावर टिलर (च) कम्बाइन हार्वेस्टर (छ) कोई अन्य स्वचालित मशीनें						
24	देश के प्राथमिकता पनधाराओं, मृदा एवं भूमि अवक्रमण पर स्थानिक और डिजीटल डाटाबेस तैयार करना तथा रखरखाव	3.0	डाटाबेस को अद्यतन करना	180	माह	3.0	मंत्रालय रेकार्ड
25	कीटनाशी अधिनियम 1968 और समेकित नाशकजीव प्रबंधन के अधीन कीटनाशकों का पंजीकरण क. केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड (सीआईबी) तथा पंजीकरण समिति (आरसी) द्वारा नाशकजीवमारों का पंजीकरण ख. केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशालाओं (सीआईएल)/क्षेत्रीय नाशकजीवमार परीक्षण प्रयेागशालाओं (आरपीटीएल) में विश्लेषण हेतु नमूनों की संख्या ग. जैव नियंत्रण एजेंटों की निर्मुक्ति घ. अनुसूचित मरूभूमि क्षेत्रों में टिड्डियों का नियंत्रण	4.0	- समय पर पंजीकरण - प्रशिक्षण किए गए नमूनों की संख्या - निर्मुक्त किए गए एजेंटों की संख्या - कवर किया गया क्षेत्र		दिन/ संख्या	4.0	मंत्रालय रेकार्ड

	ङ. किसान फील्ड सेवाओं (एफएफएस) के माध्यम से समेकित नाशकजीव प्रबंधन (आईपीएम) को लोकप्रिय करना च. अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव संसाधन विकास		- आयोजित किए गए एफ एफ एस की संख्या - प्रशिक्षण प्रोग्राम की संख्या				
26.	पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अधीन खेपों के निर्यात/आयात की स्वीकृति के लिए निर्यात/आयात खेपों के सेवा मानकों की स्वीकृति 1) शीघ्र खराब होने वाले जिंस (नर्सरी पौधे, टिश्यु कल्चर्स, ताजे, फल, कट फ्लावर्स आदि) क) निर्यात प्रमाणीकरण और पीएससी जारी करना । ख) आयात स्वीकृति ग) आयात परमिट जारी करना 1) धूमन अपेक्षित खेपें क) निर्यात प्रमाणीकरण और पीएससी जारी करना । ख) आयात स्वीकृति ग) आयात परमिट जारी करना	4.0	समय पर निकासी तथा प्रमाणपत्र/परमिट जारी करना समय पर निकासी तथा प्रमाणपत्र/परमिट जारी करना		दिन	4.0	मंत्रालय रेकार्ड

	2) बीज क) निर्यात प्रमाणीकरण और पीएससी जारी करना । ख) आयात स्वीकृति ग) आयात परमिट जारी करना 3) पादप प्रचार सामग्री जिसमें प्रवेश पश्चात संगरोध अपेक्षित है । क) निर्यात प्रमाणीकरण और पीएससी जारी करना । ख) आयात स्वीकृति ग) आयात परमिट जारी करना		समय पर प्रमाणपत्र निकासी/परमिट जारी करना समय पर प्रमाणपत्र निकासी/परमिट जारी करना				
27.	गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन व वितरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास व सुद्दढ़ीकरण के लिए सहायता मुहैया करना	5.0	प्रस्ताव पर समय पर कार्यवाही और बीजों का वितरण		क्विंटल	5.0	मंत्रालय रेकार्ड
28.	केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन, दलहन, आयल पाम, और मक्का (आइसोपाम) स्कीम के लिए निधियों की निर्मुक्ति	3.0	निधियों की समय पर निर्मुक्ति		तारीख	3.0	मंत्रालय रेकार्ड
29.	1. भारतीय कृषि की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन/परामर्श	3.0	प्रस्तावों पर समय पर कार्यवाही		तारीख	3.0	मंत्रालय रेकार्ड

	2. देश में अधिमानतः राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों/कृषि वैज्ञानिकों/प्रशासकों के बीच कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार तथा सबंधित करारों से संबंधित जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समर्थन ।							

कृषि एवं सहकारिता विभाग के लिए नागरिक/सेवार्थी चार्टर (2011-2012)

शिकायत समाधान तंत्र

Website url to lodge Http://pgportal.gov.in/

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन नम्बर	ई मेल	मोबाइल नम्बर
1.	सुश्री उमा गोयल, संयुक्त सचिव (पी जी)	23384468	uma.goel@nic.in	-
2.	श्री एन के गुप्ता, उप सचिव (ओ एण्ड एम/पीजी)	23384752	nkgupta.mowr@nic.in	-

पणधारियों (स्टेक होल्डरों)/सेवार्थी/(क्लाइंट) की सूची

क्र.स.	पणधारी/सेवार्थी
1.	केन्द्रीय सरकारी विभाग, राज्य सरकारें, सरकारी उपक्रम और निगम
2.	राज्य कृषि एवं समवर्गी विभाग
3.	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएएमईटीआई) नोडल प्रशिक्षण संस्थान
4.	परा विस्तार कर्मी/कृमि- उद्यमी
5	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
6.	वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठन/संस्थान आदि - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी) - राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र (एन आर एस सी) - केन्दीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान (सी आर आई डी ए)
7.	केन्द्र एवं राज्य सरकारों में स्थानीय प्राधिकारी
8.	अनुसंधान विद्वान विद्यार्थी, समुदाय और विश्वविद्यालय विशेषकर राज्य कृषि विश्वविद्यालय
9.	केन्द्रीय एवं राज्य प्रमाणन एजेंसियां
10.	कृषि विज्ञान केन्द्र
11.	राष्ट्रीयकृत बैंक
12.	सहकारी समितियां
13.	भारतीय साधारण बीमा कम्पनियां
14.	किसानी, किसान संगठन, कृषि कर्मी
15.	कार्पोरेट एवं प्रावईवेट सैक्टर और अन्य संगठन
16.	तकनीशियन
17.	सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त हो रहे रक्षा कर्मी आदि
18.	फार्म मशीनरियों के प्रयोक्ता
19.	कार्यान्वयन एजेंसियां (एन एस सी, एस एफ सी आई, आईसी ए आर, के आर आई बी एच सी ओ)
20.	जिंस बोर्ड
21.	शीर्ष मान्यताप्राप्त व्यापार निकाय

22.	व्यक्तिगत उद्यमी
23.	कृषक हित समूह/जिन्स हित समूह
24.	पंचायती राज संस्थाएं
25.	नाशकजीवमार उद्योग
26.	कृषि उत्पादों के आयातक व निर्यातक
27.	सामान्य नारियल

कृषि और सहकारिता विभाग का नागरिक/सेवार्थी चार्टर **(2011-2012)**

उत्तरदायित्व केन्द्र तथा अधीनस्थ संगठन

क्र.सं	उत्तरायित्व केन्द्र तथा अधीनस्थ संगठन	दूरभाष नं.	ई मेल	मोबाई नंबर	पता
1.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली	011-26960796	cdplan@ncdc.stpm.soft.net		राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4 श्रीफोर्ट संस्थागत क्षेत्र, हौज खास, नई दिल्ली -110016
2.	कपास विकास निदेशालय, मुम्बई	022-22611964	directordocd@rediffmail.com		निदेशक, कपास विकास निदेशालय, 14 , रामजीभाई, कामायनी मार्ग, बलार्ड स्टेट पोस्ट बॉक्स नं. 1002, मुम्बई 400 001
3.	पटसन विकास निदेशालय, कोलकाता	033-22879337	djd@nic.in		निदेशक, पटसन विकास निदेशालय, निजाम पैलेस कैम्प्स, 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड कोलकाता-700020.
4.	कदन्न विकास निदेशालय, जयपुर	0141-2235631, 2233004, 2233003	dmdrj00@nic.in	09650131044	कदन्न विकास निदेशालय, केन्द्रीय सदन कमरा नं. 210, द्वितीय तल, ब्लाक ए, सैक्टर -10, विद्याधर नगर जयपुर-302023.
5.	तम्बाकू विकास निदेशालय, चैन्नई	044-28277422 Fax: 28270076	tobaccochn1@bsnl.in. tobaccochn@bsnl.in		तम्बाकू विकास निदेशालय, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, नं. 26 , हडोज रोड़, शास्त्री भवन, एनेक्स, III फ्लोर, चैन्नई-600 006.
6.	गन्ना विकास निदेशालय, लखनऊ	0522-2323913, 2324480	dsd@nic.in	09453434174	गन्ना विकास निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ,8वां तल, सी जी ओ काम्प्लैस, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ -226024, उ.प्र.
7.	चावल विकास निदेशालय, चावल विकास निदेशालय, पटना	0612-2262843	drdpatna@hub.nic.in	09431456695	चावल विकास निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग ,250-ए, पाटलिपुत्र कालौनी पटना-800013

8.	गेहूं विकास निदेशालय, गाजियाबाद	0120-2711380, 2710897	dwd@hub.nicin		गेहूं विकास निदेशालय, सीजीओ काम्प्लैस-1 , तृतीय तल, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद -201 002 (उ.प्र.)
9.	विस्तार निदेशालय, नई दिल्ली	011-25846467	rhevn@vistar.nic.in	09818635563	विस्तार निदेशालय, कृषि विस्तार भवन , आई ए आर आई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली 110012.
10.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, (एम ए एन ए जी ई) हैदराबाद	040-24016702-07	dgmanage@manage.gov.in		महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार संस्थान,प्रबंधन (एम ए एन ए जी ई), राजेन्द्र नगर, हैदराबाद -500 030, आंध्र प्रदेश
11.	काजू व कोको विकास निदेशालय, कोच्चि	0484-2377151	dccd@nic.in		काजूनट व कोको विकास निदेशालय, आठवां तल, एस आर वी स्कूल रोड़, केरा भवन, कोच्चि -682 011 केरल
12.	सुपारी व मसाला विकास निदेशालय, कोझिकोड	0495-2369877	spicedte@nic.in	09447333909	सुपारी व मसाला विकास निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, वैस्ट हिल, पी ओ कनानौर रोड, कालीकट -673005 (केरल)
13.	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, नई दिल्ली	011-23385495	sumitro@nic.in		अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय , कमरा नं. 119, एफ-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001.
14.	केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	0129-2414712	cfqcti@nic.in		केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, एच एन- IV, एन आई टी, फरीदाबाद , 121001. हरियाणा
15.	राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, गाजियाबाद	0120-2721896 Fax 0120-2721896	ncof@nic.in	-	राष्ट्रीय जैविक खेती केन्द्र, सी जी ओ काम्प्लैक्स , 2/204, बी विंग, कमला नेहरू नगर,गाजियाबाद -201 002 (उ.प्र.)
16.	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद	0129-2434350	dmifbd@agmark.nic.in	-	विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, एन एच-IV, फरीदाबाद हरियाणा -121001
17.	लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली	011-26862365 26966017, 26966037	sfac@nic.in	9811116616	लघु कृषक कृषि व्यापार परिसंघ, (एसएफएसी), एन सी यू आई ओडिटोरियम बिल्डिंग, पांचवा तल, 3 श्री

					संस्थागत क्षेत्र, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली -110016
18.	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर	0141-2770027 2795105	dgniam@hotmail.com	-	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, कोटा रोड़, बांमला, सांगनेर के निकट, जयपुर -303 906 (राजस्थान)
19.	केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुदनी	07564-234729	fmti-mp@nic.in	9977691580	केन्द्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान , ट्रैक्टर नगर, जिला सिहोर, पी ओ बुदनी, -466 445, म.प्र.
20.	उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार, हरियाणा	01662-276984, 276172	fmti-nr@.nic.in	09992441108	उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी, प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, सिरसा रोड, हिसार- 125 001 (हरियाणा)
21.	दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, गार्लेडिन, आंध्र प्रदेश	08551-286441	fmti-sr@.nic.in		दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ट्रैक्टर नगर,पी ओ गार्लेडाइन, पिन -515 731, जिला-अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश
22.	पूर्वोत्तर क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,बिस्वनाथ, चैराली, असम	03715-222094	fmti-ner@nic.in	9435389133	पूर्वोत्तर क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान,बिस्वनाथ, चैराली, जिला सनितपुर, असम - 784 176
23.	दलहन विकास निदेशालय, भोपाल	0755-2572313	dpd.mp@.nic.in	-	दलहन विकास निदेशालय, छठा तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462004 (म.प्र.)
24.	नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि	0484-2376265, 2377266, 2377267	kochi.cdb@gov.in cdbkochi@gmail.com	-	नारियल विकास बोर्ड, केरा भवन, एस आर वी एस एच रोड़ , कोच्चि -682011.(केरल)
	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुडगांव	0124-2332992	info@nhb.gov.in mdnhb@yahoo.com	9958200779	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, प्लाट नं..85, संस्थागत क्षेत्र, सैक्टर 18, गुडगांव -122 015
26.	अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण, नई दिल्ली	011-25841263, 25843811	csso-slusi@nic.in		अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयेाग सर्वेक्षण, आई ए आर आई बिल्डिंग, पूसा, नई दिल्ली -110012

27.	पौध संरक्षण, संगरोध एवं संचयन निदेशालय, फरीदाबाद	0129-2413002, 2413985	ppa@nic.in		पौध संरक्षण संगरोध एवं संचयन निदेशालय, एच एन -IV,फरीदाबाद -121001 (हरियाणा)
28.	राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी	0542-2370222	dir-nsrtc-up@nic.in		राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, जी टी रोड, कलैक्टरी फार्म, पी ओ - औद्योगिक संपदा, वाराणसी - 221 106 (उ.प्र.)
29.	राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली	011-25841379	nsc@vsnl.com		राष्ट्रीय बीज निगम, बीज भवन, पूसा काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012
30.	भारतीय राज्य फार्म निगम, नई दिल्ली	011-26446903-04-05	sfci1415@gmail.com	-	भारतीय राज्य फार्म निगम, फार्म भवन, 14-15, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
31.	पादप किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण	011-25843388	jr-ppvfraagri@nic.in dipalre@yahoo.com		पादप किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, एन ए एस सी काम्पलैक्स, डी पी एस मार्ग, टोडापुर के सामने, नई दिल्ली -110012.
32.	तिलहन विकास निदेशलय, हैदराबाद	040-23225257 040-23225258 040-23224381	dod@nic.in apos@nic.in		तिलहन विकास निदेशालय, भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग, तैहलान भवन हिमायत नगर, हैदराबाद-500 029
33.	राष्ट्रीय तिलहन व वनस्पति तेल विकास बोर्ड, गुडगांव	0124-2341884	novod@novodboard .com	9899401239	राष्ट्रीय तिलहन व वनस्पति तेल विकास बोर्ड, प्लाट नं. 86, सैक्टर- 18, गुडगांव -122015
34.	राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान, हैदराबाद	040-24013346	infoniphm@nic.in		राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद -500 030.
35.	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, नई दिल्ली	011-23384006	kgr.krishnan@nic.in	9873089444	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, क.सं. 184 ए, कृषि भवन, नई दिल्ली

सेवा प्राप्तकर्त्ताओं से निर्देशात्मक आशायें

क्र0 सं0	सेवा प्राप्त कर्ताओं से निर्देशात्मक आशायें
1	बहु राज्य सहकारी समितियों और उनके उपनियमों का समय पर पंजीकरण
2	अधिकतर संख्या में सहकारी कार्मिको को आवश्यकता आधारित शिक्षा एवं परीक्षण प्रदान किया।
3	किसानों को उनके उत्पाद के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना
4	सहकारी समितियों को ब्याज की रियायतो दरों पर एनसीडीसी वित्तीय सहायता देना।
5	ऐसी प्राकृतिक आपदाओं तथा जोखिमों के कारण जिन पर रोक नही लगाई जा सकती है । फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानो को वित्तीय सहायता देने में एक महत्वमूर्ण माध्यम बनना ।
6	कृषि में प्रगामी फार्मिग प्रणालियोंतथा उच्च प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये किसानों को प्रोत्साहित करना ।
7	प्राकृतिक आपदाओं के वर्ष के दौरान ऋण की पात्रता बहाल करना तथा कृषि ऋण का वितरण कायम रखने मे मदद करना ।
8	राज्यों से समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा अपनी योजनाओं को अनुमोदित कराने की आशा की जाती है ।
9	राज्यों से जिलों तथा किसानों को निधियों की समय पर निर्मुक्ति ।
10	राज्यों/ क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रगति रिपोर्टो एवं उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण ।
11	किसान स्कीम के तहत दी सब्सीडी को देश में खाद्यान उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रयोग में लायेगे ।
12	भारत मौसम विभाग (आईएमडी) से जून-सितम्बर के दौरान साप्ताहिक वर्षा आकडा (राज्यवार)

13	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मनीटर/किए गए 81 महत्वपूर्ण साप्ताहिक जलाशयों में जलाशय भण्डारण स्थिति ।
14	आईसीएआर, सीआरआईडीए से फसल/कृषि परामर्शिकाएं ।
15	राज्य/जिला/प्रखण्ड कृषक परामिर्शक समितियों (एसएफएसी/डीएफएसी/बीएफएसी) की बैठकों में भाग लेना ।
16	विभिन्न समितियों, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभकिरण शासक मंडल तथा एटीएमए प्रबंधन समितियों में भागीदारी ।
17	3. नियमित प्रतिपुष्टि का प्रावधान ।
18	विभिन्न प्रशिक्षण एवं विस्तार क्रियाकलापों के लिये व्यक्तिगत लाभार्थी के चयन में जिंस हित समूहों/ कृषक संगठनों के सदस्य के रूप में भागीदारी ।
19	फार्म स्कूलों की स्थापना में भागीदारी ।
20	कृषक हित समूहो/जिंस समूहों को संगठित करना ।
21	**कृषि उद्यम** - प्रशिक्षण के पश्चात कृषि उद्यमों की स्थापना - कृषि उद्यमके अभिन्न अंग के रूप में विस्तार सेवाओं का प्रावधान। - किसानों को दी जानें वाली सेवाओं तथा माल की गुणवत्ता कायम रखी जायेगी

22	**किसान** - कृषि उद्यमो की विस्तार सेवाओं को लाभ उठाना । - कृषि उद्यमों द्वारा दी गई सेवाओं की गुणवत्ता पर नियमित प्रतिपुष्टि । - समूह बनाना और यदि भुगतान आधार पर संभव हो, तो समूह जरूरतों के लिए कृषि उद्यमों से परामर्श सहायता का लाभ उठाना । - पूछताछ करते समय धैर्य रखना । - समस्या के सबंध में अधिकतम जानकारी प्रदान करना । - स्वयं के संबंध में पूर्ण विवरण प्रदान करना । - के सी सी सेवाओं के संबंध में नियमित प्रतिपुष्टि । - किसी विशिष्ट कार्यक्रम के प्रसारण/टेलीकास्ट के लिये अनुरोध करने के पहले पोर्टल का अवलोकन करना । - सुझाव जिला स्तर समितियों/राज्य स्तर समितियों को भेजे जायें जो मामले को संबंधित दूरदर्शन स्टेशनों/एफएम केन्द्रों के साथ उठायेंगी ।
23	एसएचएम (राज्य बागवानी मिशनों) से समय रहते विधिवत भतें हुई निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक कार्य-योंजना प्रस्तुत करने की आशा की जाती है ।
24	उचित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना ।
25	समय पर उचित मानीटरिंग करना ।
26	संयुक्त निरीक्षण दल रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना ।
27	राज्य सरकारों तथा प्रभागों से प्राप्त प्रस्ताव सभी मामलों में पूर्ण होने चाहिये ।

28	संतुलित उर्वरकों तथा समेकित पोषक तत्वों के मृदा परीक्षण आधारित उपयोग के प्रति जागरूकता ।
29	खेतिहर समुदाय को जैविक कृषि प्रबंधन के प्रति जागरूकता तथा जैविक आदान के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना, गुणवत्तायुक्त जैव-उर्वरकों तथा कार्वनिक उर्वरक उपलब्ध कराना ।
30	मामलेों के समय पर निपटान किये जाने के लिये स्कीम के दिशा निर्देशो के अनुसार पूर्ण जानकारी उपलब्ध करना ।
31	सेवा प्राप्त करने वाले मामलों/प्रस्तावों के निपटान हेतु सही तथा संगत जानकारी प्रदान करें ।
32	पूरी तरह से सूचनाओं से अवगत फार्मिंग और पणधारी समुदाय जो परियोजनाओं के प्रस्तावों/लाभांशों और स्कीम/परयिोजनाओं के सुधार के लिए प्रतिपुष्टि लाभ उठाता है ।
33	प्रशिक्षण काय्रक्रमों में सुधार के लिये प्रशिक्षण प्रशिक्षित से प्रतिपुष्टि ।
34	नमूनों के परीक्षण के दौरान विनिर्माताओं तथा आवेदकों से सुझाव ।
35	प्रशिक्षण में प्रगति का मूल्यांकन अध्ययन ।
36	अपवाह क्षेत्र, पनधारा प्रबंधन कृषि विकास तथा निम्नीकृत भूमियों के विकास में मृदा एवं जल संरक्षण के लिये नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु आंकडा आधार वैज्ञानिक उपयोग के लिये सीमित होगा ।
37	काष्ठ पैकेजिंग की सामग्री तथा पादप/पादप सामग्रियों के निर्यातक तथा आयातक अपने को इस संबंध में आश्वास्त करने के लिये पौध संगरोध आदेश 2003 का अवरोकन करें कि उसके आयात तथा निर्यात उसमें निर्धारित शतो के पूर्ण रहते हैं ।
38	कीटनाशक उद्योग किसानों के प्रति पंजीकरण को शर्तों के अनुसार गुणवत्ताप्रद कीटनाशको का निर्माण तथा आपूर्ति सुनिश्चित करें ।
39	किसान लेबल/पर्चियों में दी गई जानकारी के अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग करे ।
40	सेवा प्राप्त करने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष रूप से पूर्व-निर्मुक्तियां यदि कोई हों, की उपयोगिता सूचित करते हुए, सभी मामलों में पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।
41	कोष का उचित प्रवाह ।
42	सही प्रयोक्ताओं के लिये कोष का उपयोग ।

43	उत्पादन एवं उत्पदकता में वृद्धि ।
44	सहायता अनुदान प्राप्त करने वालों से अधिकार सम्पन्न समिति द्वारा उनके पक्षमें अनुमोदित परियोजनाओं के मानकों तथा शर्तों का अनुपालनकरने की अपेक्षा की जाती है ।